FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मेघाराम वगैरा बनाम केसाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ का॰ 88,188 RTAct नं. 98/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/07/2020	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88 188 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/07/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21/07/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ~~की ओर~~ से 3 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 17/08/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	मेघाराम
17/08/20	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा मय साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया गया तथा वादीगण की ओर से वादी संख्या-1 ~~pw~~ स्वतंत्र गवाह pw-2- जोगाराम पुत्र श्री करनाराम जाति-जाट निवासी-लापला (कोसरिया)	किशनाराम जोगाराम

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अतः मिसल इलावा होकर आगामी दिनांक 26/08/2020 को पेश हो।

26/08/2020 वुकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली कायम शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

26.8.2020

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 98 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मेघाराम पुत्र केसाराम 2. पुखराज पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सिणधरी चौराहा बाड़मेर 3. तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री किशनाराम वकील वादीगण
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक : 26/08/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 199, 331, 584 / 201 रकबा क्रमशः 0.1618, 1.1892, 10.5170 हैक्टेयर व मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 6.5691 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी [illegible]लातनामा व इकबाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण मोटाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 199, 331, 584/201 रकबा क्रमशः 0.1618, 1.1892, 10.5170 हैक्टेयर व मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 6.5691 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

1. मेघाराम पुत्र केसाराम
2. पुखराज पुत्र केसाराम
   जाति जांट निवासी कोसरिया
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केसाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट
   निवासी कोसरिया तहसील बायतु
   जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा
   शाखा सिणधरी चौराहा बाड़मेर
3. तहसीलदार बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–98 / 2020.

निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से वकील श्री किशनाराम व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/08/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 199, 331, 584 / 201 रकबा क्रमशः 0.1618, 1.1892, 10.5170 हैक्टेयर व मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 6.5691 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested